NO. 7/4/2013-VS(CRS)

SPEED POST

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्णपुरम्, नईदिल्ली - 110066
V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066
Tele-fax.No.23383761/26104012

E-mail – drg-crs.rgi@nic.in

Dated 03.07.2015

CIRCULAR

Subject: Procedure for registration of birth of orphan/abandoned children-Issue of guidelines.

The procedure for registration of birth of orphan children is given below. These guidelines are issued under Section 3(3) of the Registration of Births and Deaths (RBD) Act, 1969.

The in-charge or caretaker of the concerned institution in case of children in orphanage or similar institution and the guardian in case of children outside such institutions are responsible for reporting the birth event to the concerned Registrar of births and deaths under Section 8 of the Registration of Births and Deaths, (RBD) Act, 1969. In such cases, details of the birth such as place of birth, date of birth, name of parents may or may not be known.

(a) In case the place of birth of the orphan child is not known, the place where the orphanage is located or the child is residing may be treated as the 'place of birth' of the child.

(b) In case the date of birth of the child is not known, the age may be determined by the Chief Medical Officer (CMO) having jurisdiction over the area where the orphanage is located or the child is residing and a probable date of birth assigned. The date of birth as assigned by the CMO can be taken as the date of birth and entered in the Birth Reporting Form.

(c) In case the name(s) of parent(s) are known to in-charge of the institution/guardian, enter the same in the birth reporting form. In case the name(s) of parent(s) are not known, the column for name(s) of parents shall remain blank in birth reporting form.

(d) If the child is admitted through 'Surrender Deed', the respective orphanage should obtain birth certificate from the parents concerned in order to avoid duplication. If birth was not registered earlier, the orphanage shall report the details of the child for birth registration as mentioned above.

(e) In case the name of the child is known, the same may be given in the Birth Reporting Form. In case the same is not known, the person in charge of the

orphanage/guardian shall give a name to the child and record the same in the Birth Reporting Form.

(f) In cases of delayed Registration, the procedure laid down in Section 13 (1), (2) and (3) may be followed.

(g) It would be the duty of the in charge of the orphanage/guardian to get the birth of children under their care registered as early as possible.

(h) The concerned Registrar of Births and Deaths having jurisdiction over the area where the orphanage is located or where the orphan is residing shall register the birth reported based on the particulars provided in the Birth Reporting Form.

(i) The birth certificate of the child may be issued after registration and the term 'orphan child' shall not be written in the birth certificate.

2. **Adoption:** The procedure as prescribed in this office circular number 1/7/2011- VS-CRS dated 12th March 2012 may be followed in cases of adoption.

3. You are requested to issue necessary directions to all the registration functionaries for strict compliance. A copy of the directions issued to the concerned authorities may be forwarded to this office for record.

4. This is issued with the approval of Registrar General, India

(P. A. Mini)
Deputy Registrar General (CRS)

To

The Chief Registrars/ Additional/ Deputy Chief Registrars of Births and Deaths of all States and UTs.

हिन्दी रूपान्तर

सं.7/4/2013-वीएस-(सीआरएस)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

जीवनांक प्रभाग,पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, West Block-1, R.K.Puram, New Delhi-110066

Tele-fax.N0.23383761@26104012 E-mail-drg-crs.rgi@nic.in

दिनांक: 03.07.2015

परिपत्र

विषय: अनाथ/परित्यक्त बच्चों के जन्म के पंजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी करना ।

अनाथ बच्चों के जन्म के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया नीचे दी गई है । ये दिशा निर्देश जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाते हैं ।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 8 के अन्तर्गत अनाथालय अथवा इसी प्रकार के संस्थान के बच्चों के मामले में संबंधित संस्थान के प्रभारी अथवा केयरटेकर और ऐसे संस्थान से बाहर के बच्चों के मामलें में अभिभावक, संबंधित रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु को जन्म की घटना की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है । ऐसे मामलों में, हो सकता है कि जन्म संबंधी विवरणों यथा जन्म स्थान, जन्म तिथि, माता-पिता के नाम के बारे में जानकारी हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है ।

(क) अनाथ बच्चे के जन्म स्थान के बारे में जानकारी न होने पर, स्थान जहॉ अनाथालय स्थित है अथवा जहां बच्चा रह रहा है, उस स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाए ।

(ख) बच्चे की जन्म तिथि के बारे में जानकारी न होने पर, वह क्षेत्र जहॉ पर अनाथालय स्थित है अथवा जहां बच्चा रह रहा है, उस क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा निर्धारित आयु और एक सम्भावित जन्म तिथि दे दी जाती है । सीएमओ द्वारा दी गई जन्म तिथि को जन्म रिपोर्टिंग फार्म में जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जा सकता है ।

(ग) माता-पिता के नाम की जानकारी संस्थान के प्रभारी/अभिभावक को मालूम होने की स्थिति में उसे ही जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में दर्ज करें । माता-पिता के नाम की जानकारी न होने के मामले में,माता-पिता के नाम का कॉलम जन्म रिपोर्टिंग फार्म में खाली रखा जाएगा ।

(घ) यदि बच्चे को 'समर्पण विलेख' के माध्यम से दाखिल किया जाता है तो संबंधित अनाथालय को दोहरे रजिस्ट्रीकरण को रोकने के लिए संबंधित माता-पिता से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए । यदि जन्म पहले से पंजीकृत नहीं करवाया गया था, तो अनाथालय को उपर्युक्त के अनुसार बच्चे के जन्म पंजीकरण के लिए विवरण, रिपोर्ट करने चाहिए ।

(ङ) यदि बच्चे के नाम की जानकारी है तो उसे जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में दिया जाना चाहिए । यदि उसकी जानकारी न हो तो अनाथालय के प्रभारी/अभिभावक को बच्चे को एक नाम देना होगा और उसी को जन्म रिपोर्टिंग फार्म में दर्ज कराएं ।

(च) विलंबित पंजीकरण के मामलों में धारा 13(1), (2) और (3) में दी गई प्रक्रिया अपनाई जाए ।

(छ) अनाथालय के प्रभारी/अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि उनकी देखभाल के अन्तर्गत रहने वाले बच्चों का जन्म यथाशीघ्र पंजीकृत कराएं ।

(ज) संबंधित रजिस्ट्रार जिसके क्षेत्राधिकार में अनाथालय स्थित है अथवा जहां अनाथ रह रहा है, उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में उपलब्ध विवरणों के आधार पर, जन्म को पंजीकृत करेगा ।

(झ) पंजीकरण के पश्चात बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है और जन्म प्रमाण पत्र में 'अनाथ बच्चा' शब्द नहीं लिखा जाएगा ।

2. **दत्तक ग्रहण:** दत्तक ग्रहण के मामलों में इस कार्यालय के दिनांक 12 मार्च, 2012 के परिपत्र संख्या 1/7/2011-वीएस-सीआरएस में दर्शाई गई निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाए ।

3. आपसे अनुरोध है कि सभी पंजीकरण पदाधिकारियों को सख्ती से अनुपालन के लिए आवश्यक निदेश दें । संबंधित अधिकारियों को जारी निदेशों की एक प्रति रिकार्ड हेतु इस कार्यालय को अग्रेषित की जाए ।

4. यह भारत के महारजिस्ट्रार के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

पी.ए.मिनी

(पी.ए.मिनी)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रार/अपर/उप मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु ।